

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 59/2012
संस्थित दिनांक- 24.02.2012

म.प्र. राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी

.....अभियोजन

वि रू द्ध

श्यामलाल पिता गंगासहाय गौड़,
आयु-72 वर्ष, निवासी ग्राम खुरमपुरा,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त द्वारा	- श्री जे.पी. गुप्ता अधिवक्ता ।

-: नि र्ण य :-
(आज दिनांक 31/03/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 06/11 के आधार पर दिनांक 03.01.11 को दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के मध्य स्थान जनपद पंचायत बड़वानी रोड़ ठीकरी में फरियादी चेतन बोरसे का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित करने, जनपद पंचायत कार्यालय जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित करने एवं चेतन बोरसे जो कि लोकसेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य निर्वहन में स्वैच्छया बाधा कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा-341, 448 एवं 186 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.11 को फरियादी चेतन बोरसे तथा जनपद पंचायत ठीकरी के अन्य कर्मचारियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी को एक लिखित आवेदन पेश करके निवेदन किया कि आज दिनांक को जब वे कार्यालय में उपस्थित थे, तब अभियुक्त और उसके साथी आए और पूछा कि सी.ई.ओ. साहब कहा हैं, तब उन्हें बताया कि वे बड़वानी बैठक में गये हैं, तब उन्होंने कहा कि पूर्व में वे लिखित में दे चुके हैं कि दिनांक 03.01.11 तक सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी नहीं दी गयी है तो वे ताला बंद करेंगे, उसके पश्चात् दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के मध्य उपरोक्त लोगों ने ताला लगाया एवं नारेबाजी की, तब उनसे चर्चा की गयी कि यह ठीक नहीं है, आपको जानकारी चाहिए तो वह नियमानुसार आपको दी जाएगी, तब वे ताला खोलकर चले गये । उक्त प्र.पी.4 का लेखी आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी ने थाना ठीकरी को प्र.पी.1 का लेखी आवेदन प्रेषित किया,

जिसके आधार पर अभियुक्त और उसके साथियों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-341, 448 एवं 186 का अपराध क्रमांक 06/11 दर्ज कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये । घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-341, 448 एवं 186 के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फँसाया गया है, लेकिन अभियुक्त ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.01.11 को दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के मध्य जनपद पंचायत कार्यालय बड़वानी रोड़ ठीकरी में फरियादी चेतन बोरसे का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया गया ?
2	क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने जनपद पंचायत कार्यालय जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया गया ?
3	क्या अभियुक्त ने फरियादी चेतन बोरसे जो कि एक लोकसेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, तब जनपद पंचायत में ताला लगाकर उसे स्वैच्छापूर्वक बाधा कारित की गयी ?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी चेतन बोरसे (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है । घटना लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व दोपहर 2 से 3 बजे के बीच की है । उसका कक्ष ठीकरी जनपद पंचायत कार्यालय के अंदर है । घटना के समय वह अपनी टेबल पर अपना शासकीय कार्य संपादित कर रहा था । जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर से नारेबाजी की आवाज सुनी थी तो बाहर जाकर देखा था तो जनपद कार्यालय के बाहर मामूली भीड़ थी । उसे नहीं मालूम कि नारेबाजी किस बात को लेकर की जा रही थी । साक्षी का यह भी कथन है कि नारेबाजी करने वाले व्यक्तियों को वह नाम से नहीं जानता है । वे व्यक्ति नारेबाजी करके चले गये थे । सी.ई.ओ. जनपद पंचायत ठीकरी द्वारा उसे लिखित रिपोर्ट थाना ठीकरी पर देने हेतु दी गयी थी, उसके द्वारा थाना ठीकरी पर दी गयी लेखी रिपोर्ट प्र.पी 1 की है, जिस पर से पुलिस ने प्र.पी.2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी,

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसके बताने पर प्र.पी.3 का नक्शामौका बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

7. अभियोजन की ओर से सूचक-प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि नारेबाजी की घटना दिनांक 03.01.11 की है तथा उक्त दिनांक को वह जनपद कार्यालय ठीकरी में लिपिक के पद पर पदस्थ था और उस समय कार्यालय का शासकीय कार्य किया जा रहा था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी लेने के लिये अपने साथियों के साथ जनपद कार्यालय में आया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी एवं उसके साथियों ने सी.ई.ओ. साहब के बारे में पूछा था, तब उसने उन्हें बड़वानी बैठक में जाना बताया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके बाद गेट पर ताला लगा दिया था । साक्षी ने स्पष्ट किया कि ताला लगाते हुए उसने किसी को नहीं देखा, नारेबाजी करते हुए देखा था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि ताला बंद किये जाने के कारण कार्यालय के अंदर का व्यक्ति अंदर ही रह गया था और वह बाहर नहीं जा सकता था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि नारेबाजी करने एवं ताला बंद करने से शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ था । साक्षी ने प्र.पी.4 में लिखे गये तथ्य सही होना बताया है और यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.4 के पत्र पर उसने और कार्यालय में पदस्थ हबीब, केशव, रविन्द्र पाटीदार, शिवजी सोलंकी और अन्य व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये थे ।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपने कक्ष में बैठकर शासकीय कार्य कर रहा था और उसके शासकीय कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आई थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय में दोपहर 2 से 2:30 बजे का समय लंच का समय रहता है । यह भी स्वीकार किया है कि लंच के समय बहुत से कर्मचारी लंच करने चले जाते हैं और जिसका कार्य रहता है, वह कार्य करते हैं । यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.4 के पंचनामे पर अन्य कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किये थे तो उसने भी उन्हें देखकर हस्ताक्षर कर दिये थे । यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.4 के पंचनामे पर ए से ए भाग पर लिखी हुई कार्यवाही और घटना उसके सामने नहीं हुई थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि बाहर जो भी नारेबाजी की घटना हो रही थी वह उसने कार्यालय के केबिन से ही सुनी थी । यह भी स्वीकार किया है कि उसने ताला लगाते हुए किसी को नहीं देखा था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के मध्य वे अपने कार्यालय में अपना कार्य करते रहे थे और ताला लगाये जाने से कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने कार्यालय में ताला लगा हुआ नहीं देखा था ।

9. साक्षी केशव (अ.सा.2), हबीब खान (अ.सा.4), रविन्द्र पाटीदार (अ.सा.5), आतिश (अ.सा.6), प्रवीण सिंह चौहान (अ.सा.7), जितेन्द्र पंवार (अ.सा.8) घटना के चश्मदीद साक्षी होना बताया गया है, लेकिन उक्त साक्षियों ने भी अभियुक्त द्वारा घटना के समय जनपद पंचायत ठीकरी के कार्यालय में गेट पर ताला लगाने और उसके द्वारा शासकीय कार्य में चेतन बोरसे को बाधा उत्पन्न करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है । यद्यपि उक्त साक्षियों ने प्र.पी.4 के पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन उक्त आवेदन-पत्र में लिखे हुए कोई भी तथ्यों का समर्थन नहीं किया गया है ।

10. अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने उक्त बिन्दुओं पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि पुलिस को अपने कथन देने से भी इन्कार किया है। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी केशव शर्मा (अ.सा.2) ने स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपने कार्यालय के केबिन में बैठकर कार्य कर रहा था और प्र.पी.4 के पत्र पर सभी कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किये थे तो उसने भी हस्ताक्षर कर दिये थे।

11. साक्षी रविन्द्र पाटीदार (अ.सा.5) का यह भी कथन है कि वह अपने कार्यालय में शासकीय कार्य संपादित कर रहा था, बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई थी, हल्ला मचाने वाले व्यक्तियों ने कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया था। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था, तब तक ताला खुल चुका था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी घटना के समय बाहर थे, जब वह लौटकर आए थे तो तब उन्होंने घटना की लिखित सूचना प्र.पी.4 की दी थी और इस घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की गयी थी। अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.पी.4 में लिखे हुए तथ्य सही हैं, लेकिन साक्षी ने प्र.पी.6 के पुलिस कथन में अभियुक्त द्वारा गेट पर ताला लगाने और नारेबाजी के तथ्य पुलिस को बताने से इन्कार किया गया है। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.4 का आवेदन ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया था और सबने हस्ताक्षर किये थे तो उसने भी हस्ताक्षर कर दिये थे।

12. साक्षी राजेन्द्र कुमार गुप्ता (अ.सा.3) का कथन है कि 2 साल पहले वह जनपद पंचायत में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के पद पर पदस्थ था। वह जनपद पंचायत के सामने वाले भवन में था। जनपद पंचायत के गेट पर किसी व्यक्ति ने ताला लगा दिया था, ऐसी सूचना उसे कार्यालय के चपरासी ने दी थी तो वह बी.आर. सी. कार्यालय से उठकर जनपद कार्यालय के गेट पर आया था। गेट पर ताला लगा था। उसने गेट के बाहर खड़े 10-15 व्यक्तियों को कहा था कि जिस व्यक्ति ने भी गेट पर ताला लगाया है, वह ताला खोल दे और जो भी जानकारी चाही है, वह उन्हें नियमानुसार दी जाएगी। ताला नहीं खोलने पर उसने उन लोगों को कार्यवाही करने का भी कहा था। गेट का ताला बाद में भीड़ में से किसी ने खोला था। उक्त भीड़ में आरोपी भी था। उसने जनपद पंचायत सी.ई.ओ. को संबोधित किये गये प्र.पी.4 के पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। सी.ई.ओ. साहब जब कार्यालय में आए थे, तब उन्हें घटना बतायी थी, तब सी.ई.ओ. साहब ने घटना लिखकर देने को बोला था, तो सभी कर्मचारियों ने लिखित में प्र.पी.4 का पत्र दिया था, जिस पर उसने भी हस्ताक्षर किये थे।

13. अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक-प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि जनपद पंचायत के गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि बाद में ताला खोल दिया गया था और शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने गेट पर ताला लगाया था, उन्हें शासकीय कार्यालय में ताला लगाने का कोई अधिकार नहीं था। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्र.डी.1 के कथन में पुलिस को यह बताया था कि गेट के बाहर 10-12 व्यक्ति बैठे थे और उसके कहने के बाद भीड़ में से किसी व्यक्ति ने ताला खोला था। यदि पुलिस ने कथन में यह बात नहीं लिखी है तो वह उसका कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त घटना के अतिरिक्त उसके सामने कोई घटना नहीं

हुई थी ।

14. साक्षी निरीक्षक विजय कुमार सिसौदिया (अ.सा.10) का कथन है कि वह दिनांक 04.01.11 को थाना ठीकरी में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को जनपद पंचायत कार्यालय का लिपिक चेतन पिता बाबूराव बोरसे जनपद पंचायत ठीकरी के सी.ई.ओ. द्वारा भेजे गये पत्र क्रमांक 3824/10, दिनांक 04.01.11 एवं उनके कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र थाने पर लेकर आया था, जो प्र.पी.1 एवं प्र.पी.4 के हैं, जिनके आधार पर उसने अपराध क्रमांक 6/11 प्र.पी.2 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि लेखी आवेदन के आधार पर उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखी थी ।

15. साक्षी बी.एल. भाभर (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 04.01.11 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 6/11 की केस-डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने जनपद पंचायत कार्यालय ठीकरी पहुँचकर साक्षी चेतन की निशांदेही से प्र.पी.3 का नक्शामौका बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा फरियादी चेतन बोरसे, साक्षी रविन्द्र पाटीदार, केशव शर्मा, प्रवीण सिंह चौहान, शिवजी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये थे अथवा किसी भी साक्षी ने उसे कोई भी कथन नहीं दिये थे ।

16. इस प्रकार स्पष्ट रूप से फरियादी चेतन बोरसे (अ.सा.1) ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को जनपद पंचायत कार्यालय ठीकरी में ताला लगाकर उसे सदोष अवरोध कारित करने तथा उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है । यहां तक कि साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त ने कार्यालय के गेट पर ताला लगाया था । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि ताला लगाते उसने किसी को नहीं देखा था । शेष साक्षियों ने भी अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को जनपद पंचायत कार्यालय के गेट पर ताला लगाने और कोई आपराधिक अतिचार करने और चेतन बोरसे को स्वैच्छया शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये गये हैं । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-186 के अपराध का संज्ञान लिया गया है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट चेतन बोरसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से थाने पर दर्ज करायी गयी है, लेकिन द.प्र.सं. की धारा-195(1)(क) के प्रावधान के अनुसार उक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि लोकसेवक है ने इस अपराध के संबंध में न्यायालय में लिखित परिवाद पेश नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उक्त अपराध आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है तथा शेष अपराध भी अभियोजन साक्ष्य के अभाव में आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होते हैं ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

17. उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन आरोपी के विरुद्ध भा.द. वि. की धारा-341, 448, 186 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-341, 448, 186 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है । अतः अभियुक्त श्यामलाल पिता गंगासहाय गौड़,

आयु—72 वर्ष, निवासी ग्राम खुरमपुरा, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा—341, 448, 186 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

18. अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

19. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।

20. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.